न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के.सोनी आर0जे0एस0
(जिला न्यायाधीश कैडर)

दीवानी दावा संख्या: 34/134/11
सी.आई.एस नंबर 1066/14

1. प्रभुदयाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री भौरेलाल जाति महाजन आयु करीब 50 साल
2. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री भौरेलाल जाति महाजन आयु करीब 42 साल
3. मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री भौरेलाल जाति महाजन आयु करीब 40 साल

निवासीयान प्लॉट नंबर 15, बेडी वाला कुंआ, कुशमार्ग अलवर तहसील व जिला अलवर राज0

......वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री भौरेलाल जाति महाजन उम्र करीब 60 साल निवासी प्लॉट नंबर 15, बेडी वाला कुंआ कुश मार्ग, अलवर राज0 ...मृतक

1/1. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल गुप्ता उम्र करीब 55 साल
1/2. अमित गुप्ता पुत्र स्व0 श्री बूलाल गुप्ता उम्र करीब 42 साल
1/3. कमला देवी पत्नि स्व0 श्री बाबूलाल गुप्ता उम्र करीब 72 साल

निवासीयान प्लॉट नंबर 15, बेडी वाला कुंआ कुशमार्ग अलवर तहसील व जिला अलवर राज0

2. श्रीमती सरिता गुप्ता पुत्री स्व0 श्री भौरेलाल जाति महाजन उम्र करीब 46 साल निवासी बेडी वाला कुंआ कुश मार्ग अलवर राज0
3. श्रीमती रिचा गुप्ता पुत्री स्व0 श्री भौरेलाल जाति महाजन उम्र करीब 35 साल निवासी प्लॉट नंबर 15, बेडी वाला कुंआ कुश मार्ग, अलवर राज0

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम जायदाद व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:-

1.श्री दाताराम गुप्ता अधिवक्ता वादी की ओर से।
2.श्री राजीव भार्गव अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से ।

<u>पुनर्विलोकन निर्णय</u> **<u>दिनांकः 20.08.2026</u>**

A. इस आदेश द्वारा वादी प्रभुदयाल द्वारा प्रस्तुत review [पुनर्विलोकन/पुनर्विचार] प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2026 के बाबत निस्तारण किया जा रहा है।

B. प्रार्थी/वादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि भौरेलाल की पत्नि व छः पुत्रियों के द्वारा भौरेलाल के तीन पुत्र प्रभुदयाल, सुरेन्द्र व मनोज के पक्ष में हक तर्कनामा प्रदर्श 2 निष्पादित किया गया था उसमें दो पुत्रियों सरिता व रिचा तथा पुत्र बाबूलाल के हक में हक तर्कनामा नहीं लिखा गया । **न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सहवन से बाबूलाल व दोनों पुत्रियों के पक्ष में हक तर्कनामा निष्पादित करने का अंकन किया है जो तथ्य की एक भूल है अतः उसे दुरूस्त किया जावे और हक तर्कनामा के आधार पर हिस्सा तैय किया जावे जो वादीगण का 10/13 हिस्सा बनता है। अतः उक्त सद्भाविक तथ्य को पर्चा डिक्री में दुरूस्त किया जाए ।**

C. इस संबंध में वादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि उनके द्वारा निर्णय के बाबत ना तो उच्च न्यायालय में अपील की गयी है और ना ही वह निर्णय से व्यथित हैं।

D. इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल के वारिसान मुकेश व अमित गुप्ता के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा सन् 1977 की डिक्री के बाबत जो आदेश पारित किया है वह मेनटेनेबल नहीं है और 1/13 हिस्सा पक्षकारों का नहीं बनता है तथा कानून में रिव्यू का सीमित स्कोप है तथा उनके द्वारा निर्णय की अपील पेश की जा चुकी है। अतः अपील होने के कारण भी रिव्यू मेनटेनेबल नहीं है। और प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल के वारिसान के द्वारा राजीनामा भी किया जा चुका था तथा रिव्यू के आधार पर निर्णय को नहीं बदला जा सकता । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए । अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये-

1.M/S Northern India Caterers V/S Lt. Governor Of Delhi
AIR 1980 Supreme Court 674

2.Smt. Meera Bhanja V/S Smt. Nirmala Kumari Choudhury
AIR 1995 Supreme Court 455

3.Dr. V.N. Padhan V/S State Of Rajasthan & Ors.
2003[4] RLW [Raj.]2108

4.Lily Thomas V/S Union Of India And Others
AIR 2000 Supreme Court 1650

5.M/S Kabari Pvt. Ltd. V/S Shivnath Shroff And Others
AIR 1996 Supreme Court 742

E. बहस उभय पक्ष सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

F. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि वादी के द्वारा दिनांक 30.06.08 को न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया । जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2026 को पारित किया गया और उक्त निर्णय के बाद वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.07.2026 को रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र हक तर्कनामा प्रदर्श 2 में भौरेलाल की पत्नि व छः पुत्रियों के द्वारा वादीगण के पक्ष में हक तर्क होने के बाबत प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल व प्रतिवादी संख्या 2 सरिता व प्रतिवादी संख्या 3 के रिचा के पक्ष में हक तर्कनामा निष्पादित नहीं किया गया है।

G. इस संबंध में निर्णय दिनांक 15.07.2026 का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि प्रदर्श 2 हक तर्कनामा में न्यायालय द्वारा छः व्यक्तियों के पक्ष में हक तर्कनामा किया जाना अंकित किया गया है और इस बाबत जब हक तर्कनामा प्रदर्श 2 का पुनः अवलोकन किया गया तो हक तर्कनामा के अवलोकन से यह जाहिर हुआ कि हक तर्कनामा चार पेज में लिखा गया है जो एक पुराना दस्तावेज है। जिसमें पेज संख्या 2 व पेज संख्या 3 आपस में चिपके हुए थे और इसी कारण जब न्यायालय द्वारा हक तर्कनामा प्रदर्श 2 को पढा गया तो पेज संख्या 1, 2 व पेज संख्या 4 को पढ लिया गया और पेज संख्या 3 चिपका होने के कारण निर्णय करते समय न्यायालय के ध्यान से ओवर साईट हो गया और निर्णय पारित करते समय हक तर्कनामा वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों के हक में निष्पादित होने के तथ्य अंकित किये गये । जबकि हक तर्कनामे को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि हक तर्कनामे के पेज नंबर 3 पर भौरेलाल के सात वारिसों के द्वारा भौरेलाल के वारिसान जो वादीगण हैं केवल उनके पक्ष में ही हक तर्कनामा लिखा हुआ है। और पेज नंबर 2 पर छः वारिसान के केवल नाम ही अंकित किये गये हैं। अतः पेज नंबर 3 के चिपके होने के कारण हक तर्कनामा छः व्यक्तियों के पक्ष में लिखा होने के तथ्य सहवन से अंकित कर दिये गये हैं । जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त त्रुटि स्पष्ट रूप से तथ्य की भूल है, जो कि अभिलेख पर देखने से ही स्पष्ट प्रकट होती है तथा आदेश 47 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसी स्पष्ट त्रुटि के संबंध में न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

इस संबंध में जब पुनर्विलोकन से संबंधित विधि का अवलोकन करें तो

114. पुनर्विलोकन –पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, जो –

(क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) ऐ विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया हैं, अपने को व्यथित मानता है वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

आदेश– नियम–1. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन (1) जो कोई व्यक्ति–

(क) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर विनिश्चय से, अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्री या किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए, वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था।

(2) वह पक्षकार जो डिक्री या आदेश की अपील नहीं कर रहा है, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन इस बात के होते हुए भी कि किसी अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है वहां के सिवाय कर सकेगा जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी दोनों के बीच सामान्य है या जहां प्रत्यर्थी होते हुए वह अपील न्यायालय में वह मामला उपस्थित कर सकता है जिसके आधार पर वह पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करता है।

[1]{स्पष्टीकरण– यह तथ्य कि किसी विधि–प्रश्न का विनिश्चय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में वरिष्ठ न्यायालय के पश्चातवर्ती विनिश्चय द्वारा उलट दिया गया है या उपान्तरित कर दिया गया है, उस निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आधार नहीं होगा।}

अतः न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की शक्तियों का इस संबंध में उपयोग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि हक तर्कनामे के आधार पर जो हिस्सा निर्धारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है।

H. **<u>यहां पर यह उल्लेख किया जाना भी न्यायोचित है कि संपूर्ण निर्णय में हक तर्कनामे के आधार पर पक्षकारों का भाग निर्धारित नहीं किया गया है</u>**

बल्कि संपूर्ण निर्णय में सभी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भौरेलाल के सभी वारिसों का हक हिस्सा बराबर- बराबर माना गया था और वर्तमान में भी सभी का हक, हिस्सा बराबर- बराबर ही माना जा रहा है। हक तर्कनामे के आधार पर तो केवल वादीगण का हिस्सा ही प्रभावित होता है क्योंकि भौरेलाल के सात वारिसों द्वारा उनके हक, हिस्से में आयी भूमि का हक तर्कनामा केवल वादीगण के पक्ष में किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में मूल निर्णय की स्थिति व प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

I. केवल हक तर्कनामा जो वादीगण के पक्ष में है उसी के आधार पर वादीगण का हिस्सा निर्णीत किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में पूर्व का निर्णय दिनांक 15.07.2026 का है वह पूर्ण रूप से वैसे ही लिखा जा रहा है। इसमें केवल मात्र जहां पर **हक तर्कनामा छः व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित करना अंकित किया है उसके स्थान पर केवल** वादीगण शब्द को प्रतिस्थापित **किया जा रहा है। जिसे न्यायालय द्वारा अपने आदेश में** underline **से दर्शित किया जा रहा है तथा वादीगण का हिस्सा हक तर्कनामा के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है।**

J. इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा सन् 1977 की डिक्री के बाबत गलत तरीके से विवेचन किया है तो प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में review [पुनर्विलोकन/पुनर्विचार] केवल मात्र हक तर्कनामा के संबंध में प्रस्तुत किया गया है और पूर्व की जो डिक्री सन् 1977 के बाबत न्यायालय द्वारा जो विवेचन किया गया है वह पूर्ण रूप से उचित है और उसके बाबत review [पुनर्विलोकन/पुनर्विचार] प्रार्थना पत्र में भी कोई परिवर्तन की प्रार्थना नहीं की गयी है इसलिए उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

K. प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा अपील प्रस्तुत की जा चुकी है इसलिए review [पुनर्विलोकन/पुनर्विचार] प्रार्थना पत्र मेनटेनेबल नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता का उक्त तर्क भी उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस संबंध में आदेश 47 नियम 01 [2] सिविल प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जब कोई पक्षकार निर्णय या डिक्री की अपील नहीं कर रहा है तो वह निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए इस बात के होते हुए भी आवेदन कर सकता है कि अन्य पक्षकार द्वारा की गई अपील लंबित है । ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, वहां प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के आधार पर वादी को न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका पेश करने से

वंचित नहीं किया जा सकता । इसके अलावा यह तथ्य भी स्पष्ट है कि वादी द्वारा दिनांक 28.07.2026 को review [पुनर्विलोकन/पुनर्विचार] का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था और दिनांक 28.07.26 तक प्रतिवादी द्वारा निर्णय दिनांक 15.07.2026 की कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी । और प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 03.08.2026 को अपील प्रस्तुत होने के बाबत तथ्य अंकित किये हैं और चूंकि उक्त अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.26 के बाद प्रस्तुत की गयी है और review [पुनर्विलोकन/पुनर्विचार] प्रार्थना पत्र अपील दिनांक 03.08.2026 से पूर्व ही दिनांक 28.07.26 को प्रस्तुत किया जा चुका था इसलिए उक्त review [पुनर्विलोकन/पुनर्विचार] प्रार्थना पत्र मेनटेनेबल है। और उस पर आदेश किया जाना पूर्ण रूप से उचित है।

L. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह भी तर्क दिया गया कि न्यायालय द्वारा सन् 1977 की डिक्री व वादी संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी मुकेश व अमित के मध्य राजीनामा हो चुका था उक्त सभी तथ्यों के विवेचन के बाद हक तर्कनामा के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । तो प्रतिवादी अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि न्यायालय द्वारा सन् 1977 की डिक्री के बाबत अलग से तनकी बनाकर उसका अलग से विवेचन किया गया है और हक तर्कनामा का उक्त निर्णय दिनांक 1977 से कोई प्रभाव नहीं है।

M. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में पूर्व में दावे में जो तर्क दिये गये थे उक्त सभी तर्कों को उठाया गया है । और उक्त तर्कों का पुनः विवेचन किया जाना किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उक्त तर्कों का पूर्व में ही निर्णय में निस्तारण कर दिया गया है। और **केवल मात्र हक तर्कनामा जो तीन व्यक्तियों के पक्ष में लिखा गया है उस संबंध में ही आदेश पारित किया जा रहा है । और उक्त आदेश से निर्णय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि सभी पक्षकारों का बराबर हक, हिस्सा माना गया है।**

अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

1. यह दीवानी दावा वादी द्वारा बाबत तकसीम जायदाद व स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो कालांतर में अंतरित होकर प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

2. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवारे के संबंध में न्यायालय में दिनांक 30.06.08 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य

होकर भाई बहन हैं । जिनका सजरा निम्न प्रकार है-

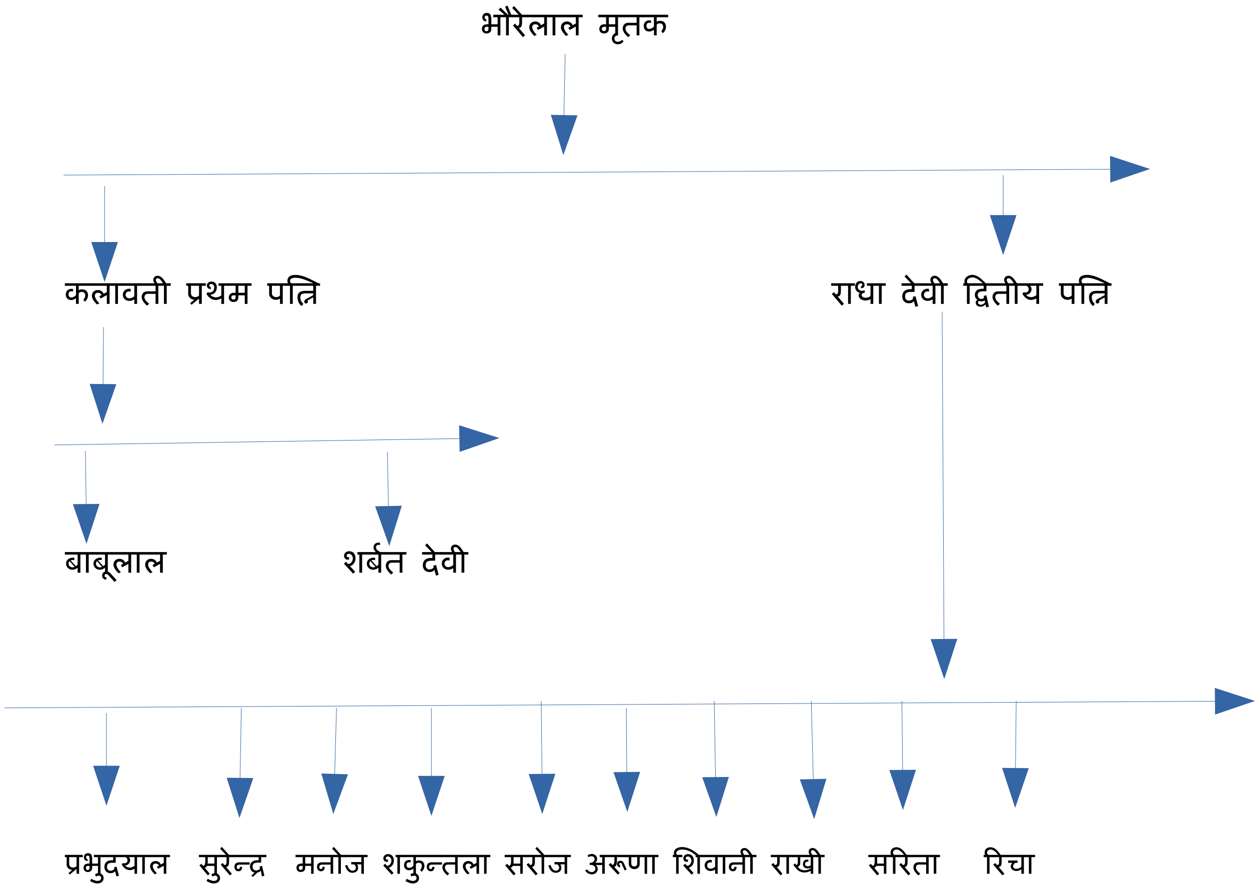

भौरेलालजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके सभी तेरह वारिस भौरेलालजी की संपत्ति जिसे वादपत्र के मद नंबर 5 में वर्णित किया गया है उसके वारिस हुए और उक्त संपत्ति को सभी व्यक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं और सभी का उक्त भूमि पर 1/13 हिस्सा था । स्वर्गीय भौरेलालजी ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे जिसमें प्रथम पत्नि का नाम कलावती तथा दूसरी पत्नि का नाम राधा देवी था । कलावती से बाबूलाल व शरबती देवी का जन्म हुआ तथा राधा देवी से तीन पुत्र व सात पुत्रियों का जन्म हुआ ।

3. भौरेलालजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नि राधा देवी, उनकी पुत्रियां शरबती देवी, शकुन्तला, सरोज, अरूणा, शिवानी, राखी इन सात लोगों ने विवादित भूमि में से उनके 1/13 हिस्से को अविभाजित मानते हुए 7/13 हिस्से का हक त्याग दिनांक 06.02.2008 को **<u>वादीगण</u>** के पक्ष में कर दिया और तभी से ही उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक का अधिकार चला आ रहा है और उक्त हक त्याग को नोटेरी से तस्दीक भी करवाया गया । भौरेलालजी के जीवनकाल में विवादित संपत्ति का किसी प्रकार से कोई बंटवारा नहीं हुआ और सभी उक्त भूमि को उपयोग, उपभोग में लेते रहे , परन्तु वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हक, हिस्से से महरूम करना चाहते हैं और उन्होंने विभाजन करने से दिनांक 15.06.2008 को

इंकार कर दिया जिस पर वादीगण ने न्यायालय शुल्क बाबत तकसीम जायदाद के लिए बाजारू मालियत बीस लाख रूपये कायम कर न्यायालय शुल्क धारा 35 राज0 न्यायशुल्क अधिनियम के तहत दो सौ रूपये व स्थायी निषेधाज्ञा की मालियत चार सौ रूपये पर न्यायालय शुल्क दस रूपये यानि कुल दो सौ दस रूपये पेश की है।

4. अतः निम्न अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया-डिक्री बाबत तकसील फरमाये जाने जायदाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाकर विवादित जायदाद प्लॉट संख्या 15 वाके कुश मार्ग बेडी वाला कुंआ अलवर मुताबिक नक्शा रंग सुर्ख को तकसीम किया जाकर विवादित जायदाद में से **10/13 हिस्सा वादीगण को व 3/13 हिस्सा** प्रतिवादीगण को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी जायदाद का कब्जा दिलाया जावे । डिक्री बाबत स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादीगण को उनके हिस्से के अनुसार उपयोग व उपभोग आदि करने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे और ना विवादित जायदाद को किसी प्रकार किसी दीगर शख्स के हक में रहन, बैय, दान आदि के जरिये मुंतकिल व मकफूल आदि ना करे । खर्चा मुकदमा वादीगण को दिलाया जावे ।

5. दिनांक 11.09.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 व दिनांक 21.08.2009 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना जवाब दावा वादीगण के वादपत्र के अनुसरण में ही दिया और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि विवादित संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है और प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 भी अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

6. प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावे में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है और जो रिलीज डीड निष्पादित की गयी है वह रिलीज डीड भी वैद्य नहीं है क्योंकि जब बंटवारा ही नहीं हुआ तो रिलीज डीड भी निष्पादित नहीं की जा सकती । भौरेलाल के स्वर्गवास होने के बाद एक पारिवारिक समझौता व बंटवारा **दिनांक 10.10.1998** को किया गया था । जिसमें भौरेलाल की दोनों पत्नियों का भौरेलाल की संपत्ति में 1/2-1/2 हिस्सा माना गया और तब ही से प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल अपने 1/2 हिस्से पर काबिज है। वादीगण ने जिस प्लॉट को विवादित बताते हुए दावा प्रस्तुत किया है उक्त संपत्ति में अन्य व्यक्ति राधेश्याम, किशोरीलाल, सीताराम आदि भी खातेदार हैं और संपूर्ण आराजी खसरा नंबर 123 व 124 का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। और वादीगण ने उक्त सभी व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए आवश्यक पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण भी दावा खारिज किये जाने योग्य है। तथा शरबती देवी को संपत्ति का हक त्याग करने का कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि शरबती देवी

का उक्त संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हक नहीं बनता था । बाबूलाल ने पूर्व में भी दिनांक 15.04.2008 को एक दावा राधा देवी आदि के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था जो दावा वर्तमान में भी लंबित है तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.06.2008 को विभाजन के बाबत कोई इंकार नहीं किया गया । वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ तथा संपूर्ण संपत्तियों के विभाजन का दावा पेश नहीं किया गया इसलिए उक्त दावा खारिज किये जाने योग्य है तथा खसरा नंबर 110 में किशोरीलाल, गुलजारी, रेवती देवी, राधेश्याम आदि व्यक्तियों को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है और उनके हक, हिस्से को भी निर्णित नहीं करवाया गया है तथा राधा देवी व कलावती देवी की अन्य पुत्रियों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए भी दावा खारिज किये जाने योग्य है। अतः दावा खारिज किया जाए ।

7. उभय पक्षकारान द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2009 को निम्न विवाधक विरचित किये गए :-

01. आया वादपत्र की चरण संख्या पांच में वर्णित संपत्ति उभय पक्षकार के हिन्दु परिवार की संयुक्त अविभाजित संपत्ति है ?

..वादी

02. आया वादग्रस्त संपत्ति में वादीगण का 10/13 अंश है?

..वादी

03. आया वादपत्र के चरण संख्या 15 में उल्लेखित आधारों पर वादी वांछित स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

..वादी

04. आया प्रतिवाद-पत्र के चरण संख्या पांच के अनुसार आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण वाद निरस्तनीय है?

..प्रतिवादी

05. आया वाद अंदर मियाद है?

..वादी

06. आया प्रतिवादी-पत्र के अतिरिक्त कथन की चरण संख्या 9 के अनुसार हस्तगत वाद धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत स्टे किये जाने योग्य है?

..प्रतिवादी

07. आया प्रतिवाद पत्र के अतिरिक्त कथन की चरण संख्या 10 के अनुसार आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के अभाव में वाद निरस्तनीय है?

..प्रतिवादी

08. अनुतोष ?

दिनांक 07.05.2026 को प्रकरण में अतिरिक्त विवाद्यक कायम किये गये-

09. आया वाद में विवादित जायदाद वाके प्लॉट नंबर 15, कुश मार्ग, बेडी वाला कुंआ अलवर के 1/5 हिस्से के संबंध में न्यायालय मुंसिफ अलवर द्वारा फैसला व पर्चा डिक्री दिनांक 05.10.1977 को पारित किया जा चुका है। इस कारण उक्त 1/5 हिस्से तक मौजूदा वाद कानूनन मैनटेनेबल नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है?

..प्रतिवादीगण

8. हस्तगत प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण की ओर से निम्नानुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी-

वादी पक्ष साक्षी

क्रम सख्या	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1	पी डब्ल्यू 1	प्रभुदयाल

वादी पक्ष दस्तावेज

क्रम सख्या	प्रदर्श संख्या	वादी दस्तावेज
1	प्रदर्श 1	नक्शा
2	प्रदर्श 2	रिलीज डीड
3	प्रदर्श 3	नक्शा बंटवारा
4	प्रदर्श 4	पारिवारिक समझौता
5	प्रदर्श 5	बाबूलाल बनाम राधा देवी दावा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया

प्रतिवादीगण साक्षी

क्रम सख्या	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1	डी डब्ल्यू 1	अमित
2	डी डब्ल्यू 2	मुकेश

प्रतिवादीगण दस्तावेजात

क्रम सख्या	प्रदर्श संख्या	प्रतिवादी दस्तावेज

1	प्रदर्श ए 1	दावा बाबूलाल बनाम भौरेलाल जो मुंसिफ अलवर में पेश किया उसकी प्रति
2	प्रदर्श ए 1	नक्शा
3	प्रदर्श ए 2	जवाब दावा जो वाद बाबूलाल बनाम भौरेलाल में पेश किया गया उसकी प्रति
4	प्रदर्श ए 3	फैसला दिनांक 05.10.1977 की प्रति
5	प्रदर्श ए 4	डिक्री की प्रति
6	प्रदर्श ए 5	दावा हुक्मइम्तनाई बाबूलाल बनाम राधा देवी की प्रति
7	प्रदर्श ए 6	शपथ पत्र
8	प्रदर्श ए 7	दावा बाबत हुक्मइम्तनाई बाबूलाल बनाम राधा देवी की प्रति
9	प्रदर्श ए 8	बाबूलाल बनाम राधादेवी में पारित डिक्री की प्रति
10	प्रदर्श ए 9	बंटवारानामा
11	प्रदर्श ए 10	जांच इस्तगासा 107, 116[3] सीआरपीसी की प्रति
12	प्रदर्श ए 11	जमाबंदी सन् 2006
13	प्रदर्श ए 12	जमाबंदी सन् 2006

9. **प्रस्तुत प्रकरण में दौराने दावा वादी संख्या 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा होने के बाबत उक्त तीनों पक्षकारों ने प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया । जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है जिस संबंध में आदेशिकाओं में भी विस्तृत आदेश पारित किया गया है।**

10. बहस सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से

इस न्यायालय के समक्ष तनकीवार विवेचन निम्न हैं-

<u>तनकी संख्या 1,2 व 3</u>

तनकी संख्या 1 यह है कि "आया वादपत्र की चरण संख्या पांच में वर्णित संपत्ति उभय पक्षकार के हिन्दु परिवार की संयुक्त अविभाजित संपत्ति है ?"

..वादी

तनकी संख्या 2 यह है कि "आया वादग्रस्त संपत्ति में वादीगण का 10/13 अंश है?"

..वादी

तनकी संख्या 3 यह है कि "आया वादपत्र के चरण संख्या 15 में उल्लेखित आधारों पर वादी वांछित स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?'

11. उक्त **तीनों** विवाद्यक एक दूसरे से परस्पर सम्बन्धित (अंर्तसंबंधित) हैं। इन विवाद्यकों में उद्भूत हुए विवाद्य प्रश्न पक्षकारों के जिन अभिवचनों पर आधारित है, वे अभिवचन क्रमशः एक दूसरे से कडी दर कडी इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इन अभिवचनो के आधार पर जो विवाद्य प्रश्न निर्मित हुए हैं वे पक्षकारान के विनिर्दिष्ट अभिवचनों पर आधारित होने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए खण्डनात्मक भी है, इसलिये किसी एक प्रश्न पर उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है, इसलिये तथा साक्ष्य के दोहराव से बचने के लिए उक्त **तीनों** विवाद्यकों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

12. तनकी संख्या 1, 2 व 3 को साबित करने का भार वादी पर है । इस संबंध में वादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि विवादित संपत्ति का बंटवारा भौरेलाल के जीवनकाल में या उनकी मृत्यु के बाद नहीं किया गया था और वादी संख्या 1 का विवादित संपत्ति में 1/13 हिस्सा है और भौरेलालजी की पुत्रियों ने वादी के हक में उनके हक, हिस्से का हक त्याग भी किया हुआ है तथा सभी पुत्र, पुत्रियां व उनकी पत्नि का 1/13 हिस्सा बनता है तथा वर्तमान में सभी उक्त भूमि पर काबिज हैं । और पूर्व में जो दावा किया गया था उसके बाबत वादीगण को कोई अधिकार नहीं था और पूर्व के दावे में सभी पुत्र व पुत्रियां पक्षकार भी नहीं थे तथा विवादित संपत्ति अविभाजित संपत्ति है जिसमें वादी अपना हक, हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है और प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का भी अधिकारी है।

13. वादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि वादी प्रभुदयाल, वादी संख्या 2 व 3 का बडा भाई है और उन्होंने उसके कहेअनुसार दावे में हस्ताक्षर किये हैं। जबकि पूर्व में वादी, प्रतिवादी व उनके पिता के मध्य एक दावा चला था जिसका निर्णय सन् 1977 में हुआ और उसी अनुसार हक, हिस्सा दिया गया था ।

वह उक्त हक, हिस्से को प्रतिवादी बाबूलाल को देने के लिए तैयार है। और वादी ने सन् 1977 के निर्णय को छिपाते हुए गलत तरीके से दावा प्रस्तुत किया है और उक्त भूमि के बाबत पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है ।

14. इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है। विवादित संपत्ति का पूर्व में ही बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल को उसका 1/2 हिस्सा दिया जा चुका है। जिस पर वर्तमान में वह काबिज भी है। तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता भौरेलाल के मध्य पूर्व में भी एक दावा हुआ था जिसमें भी प्रतिवादी बाबूलाल का 1/2 हक, हिस्सा माना गया है। और विवादित संपत्ति अविभाजित नहीं है, बल्कि उसका विभाजन हो चुका है, तथा भौरेलालजी की पुत्रियों को रिलीज डीड भी करवाने का कोई अधिकार नहीं था और उक्त रिलीज डीड के आधार पर भी वादी को कोई संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः वादी के दावे को खारिज किया जाए ।

15. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि **गवाह पी डबल्यू 1 वादी प्रभुदयाल है।** उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वादपत्र में कहे कथनों की पुष्टि में कथन कहे हैं। उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में उल्लेख करता है कि वादी तथा प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर भाई बहन हैं । जिनका सजरा निम्न प्रकार है-

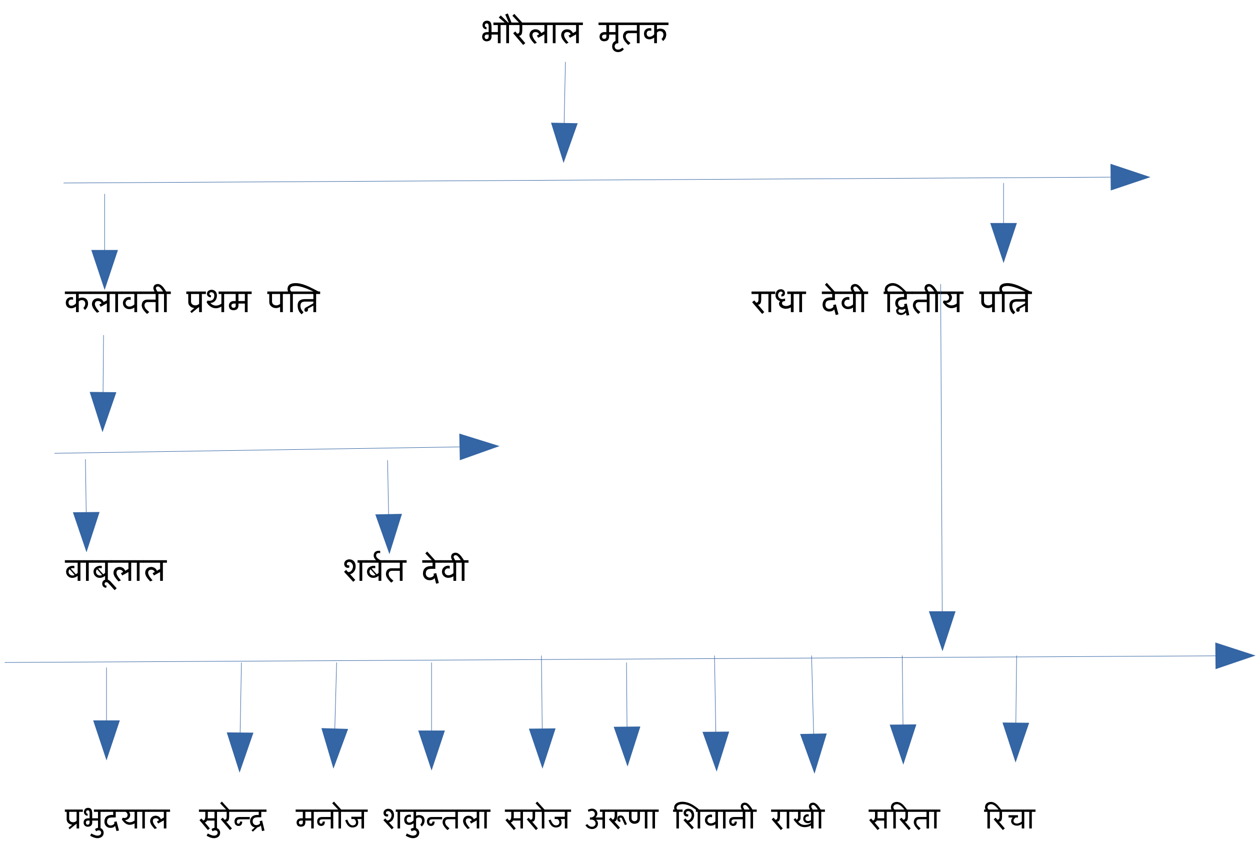

भौरेलालजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके सभी तेरह वारिस भौरेलालजी की संपत्ति जिसे वादपत्र के मद नंबर 5 में वर्णित किया गया है उसके वारिस हुए और उक्त संपत्ति को सभी व्यक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं और सभी का उक्त भूमि पर 1/13 हिस्सा था । स्वर्गीय भौरेलालजी ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे जिसमें प्रथम पत्नि का नाम कलावती तथा दूसरी पत्नि का नाम राधा देवी था । कलावती से बाबूलाल व शरबती देवी का जन्म हुआ तथा राधा देवी से तीन पुत्र व सात पुत्रियों का जन्म हुआ ।

16. भौरेलालजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नि राधा देवी, उनकी पुत्रियां शरबती देवी, शकुन्तला, सरोज, अरूणा, शिवानी, राखी इन सात लोगों ने विवादित भूमि में से उनके 1/13 हिस्से को अविभाजित मानते हुए 7/13 हिस्से का हक त्याग दिनांक 06.02.2008 को **वादीगण** के पक्ष में कर दिया और तभी से ही उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक का अधिकार चला आ रहा है और उक्त हक त्याग को नोटेरी से तस्दीक भी करवाया गया । भौरेलालजी के जीवनकाल में विवादित संपत्ति का किसी प्रकार से कोई बंटवारा नहीं हुआ और सभी उक्त भूमि को उपयोग, उपभोग में लेते रहे , परन्तु वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हक, हिस्से से महरूम करना चाहते हैं और उन्होंने विभाजन करने से दिनांक 15.06.2008 को इंकार कर दिया ।

17. दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नक्शा, प्रदर्श 2 रिलीज डीड, प्रदर्श 3 नक्शा बंटवारा, प्रदर्श 4 पारिवारिक समझौते को प्रदर्शित कराया गया ।

18. जिरह में भी उक्त गवाह इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि प्रदर्श ए 1 नक्शे में ए,बी,सी,डी हिस्सा बाबूलाल का दर्शाया हुआ है और ई,जी,एच,आई हिस्सा बारह जनों के कब्जे में है तथा एन,ओ,पी,क्यू हिस्सा भी उनके कब्जे में ही है। तथा भौरेलाल ने उनके जीवनकाल में पहला विवाह कलावती से और दूसरा विवाह राधा देवी से किया था। जो कलावती की मृत्यु होने के बाद किया था । उक्त गवाह जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि भौरेलाल के द्वारा उसकी संपत्ति का 1/2 हिस्सा बाबूलाल को नहीं दिया था तथा भौरेलाल की पुत्रियों ने **वादीगण** के पक्ष में प्रदर्श 2 रिलीज डीड भी निष्पादित की थी तथा उक्त गवाह जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि दावे में उसने वसीयत दिनांक 06.04.87 का कोई जिक्र नहीं किया । प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी प्रकार की वसीयत का कोई विवाद नहीं है इसलिए इस बाबत जो जिरह की गयी है वह किसी भी प्रकार से सुसंगत नहीं है।

19. उक्त गवाह जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि वर्तमान में उनकी माता राधा देवी की मृत्यु हो चुकी है। तथा वह राधा भवन में सन् 1989 से पूर्व से रह रहे हैं । इस प्रकार उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह स्पष्ट रूप से अंकित करता है कि विवादित भूमि का कोई बंटवारा भौंरेलाल के वारिसान के मध्य नहीं हुआ है।

20. इस संबंध में **गवाह डी डबल्यू 1 अमित गुप्ता व डी डब्ल्यू 2 मुकेश गुप्ता है जो बाबूलाल के पुत्र हैं** और उक्त दोनों गवाह अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में बाबूलाल ने जो जवाब दावा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार ही कथन करते हैं और यह उल्लेख करते हैं कि विवादित जायदाद प्लॉट नंबर 15 वाके बेडी वाला कुंआ कुश मार्ग अलवर पर स्थित है। उक्त जायदाद की पैमाईश निम्न प्रकार है-
तरफ पूर्व-88 फुट
तरफ पश्चिम-64 फुट,
तरफ उत्तर-292 फुट 8 इंच,
तरफ दक्षिण-314 फुट 8 इंच

21. विवादित संपत्ति वाके प्लॉट नंबर 15 बेडी वाला कुंआ कुशमार्ग अलवर स्व0 भौंरेलाल की पैदाकर्दा थी । स्व0 भौंरेलाल ने अपने जीवनकाल में दो शादी की थी । पहली पत्नि कलावती का स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्होंने दूसरी पत्नि राधा देवी से शादी की थी । स्व0 भौंरेलाल ने अपनी पहली पत्नि से उत्पन्न पुत्र बाबूलाल को उनकी जायदाद का 1/2 हिस्सा बहामी बंटवारा में दे दिया । उसके बाद से उसके पिता बाबूलाल उक्त 1/2 हिस्से पर बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे हैं । जायदाद के बाकी 1/2 हिस्से पर स्व0 भौंरेलाल जी की दूसरी पत्नि राधा देवी व उनकी संतानें काबिज है। प्रार्थी के पिता बाबूलाल के हिस्से में जो उक्त जायदाद का आधा हिस्सा आया उसमें से कुछ मकानात स्व0 भौंरेलाल ने अपने जीवनकाल में बनाये थे व बाकी मकानात प्रार्थी के पिता बाबूलाल ने उसके पैसे से निर्माण किये । उक्त हिस्से पर प्रार्थी के पिता बाबूलाल बहैसियत मालिक काबिज रहे । उक्त बहामी बंटवारे के बाद मौके पर संपत्ति का संपूर्ण बंटवारा [बाई मीट्स एंड बाउण्ड्स] नहीं हुआ और केवल आंशिक बंटवारा हुआ और संपत्ति के कुछ हिस्से पर वादीगण काबिज चले आ रहे हैं और कुछ हिस्से पर प्रार्थी के पिता बाबूलाल काबिज रहे व कुछ हिस्से पर शामलाती कब्जा चला आ रहा है। जिसका पूर्ण विवरण नक्शे में दर्शाया गया है।

22. विवादित जायदाद में स्व0 भौंरेलाल की प्रथम पत्नि की संतान प्रार्थी के पिता बाबूलाल का 1/2 हिस्सा व स्व0 भौंरेलाल की द्वितीय पत्नि श्रीमती राधा देवी व उसकी संतानों का 1/2 हिस्सा है। वास्तव में मौके पर पक्षकारान आंशिक रूप से अपने-अपने हिस्से पर तथा कुछ हिस्से पर शामलाती रूप से काबिज चले आ रहे हैं। दस्तावेज रिलीज डीड दिनांक 06.02.2008 जो वादी ने न्यायालय में पेश की है जो

राधा देवी आदि ने निष्पादित किया है वह दस्तावेज गैरकानूनी है । उन्हें उक्त रिलीज डीड में वर्णित संपत्ति के संबंध में कोई हकूक प्राप्त नहीं थे । इस प्रकार दस्तावेज पारिवारिक समझौता भी गैरकानूनी दस्तावेज है। बाबूलाल ने राधा देवी के विरूद्ध एक अन्य दीवानी दावा संख्या 34/338 सन् 2008 बअनुवान बाबूलाल बनाम राधा देवी न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.खं. संख्या 1 अलवर में दिनांक 15.04.08 के बाबत हुक्म इम्तनाई दवामी दायर किया । जिसका निर्णय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अलवर ने दिनांक 07.02.2018 को किया ।

23. **दस्तावेजी साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू 1 अमित गुप्ता ने** प्रदर्श ए 1 दावा बाबूलाल बनाम भौरेलाल जो मुंसिफ अलवर में पेश किया उसकी प्रति, प्रदर्श ए 1 नक्शा ब्लूप्रिंट, प्रदर्श ए 2 जवाब दावा जो वाद बाबूलाल बनाम भौरेलाल में पेश किया गया उसकी प्रति, प्रदर्श ए 3 फैसला दिनांक 05.10.1977 की प्रति, प्रदर्श ए 4 डिक्री की प्रति, प्रदर्श ए 5 दावा हुक्मइम्तनाई बाबूलाल बनाम राधा देवी की प्रति, प्रदर्श ए 6 शपथ पत्र, प्रदर्श ए 7 दावा बाबत हुक्मइम्तनाई बाबूलाल बनाम राधा देवी की प्रति, प्रदर्श ए 8 डिक्री की प्रति, प्रदर्श ए 9 बंटवारानामा, प्रदर्श ए 10 जांच इस्तगासा 107, 116[3] सीआरपीसी की प्रति, प्रदर्श ए 11 जमाबंदी सन् 2006, प्रदर्श ए 12 जमाबंदी सन् 2006 को प्रदर्शित कराया गया ।

24. जिरह में उक्त दोनों गवाह यह स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श 1 में वर्णित विवादित भूमि उसके दादा भौरेलाल के हक, हिस्से में आयी थी और प्रदर्श 4 बंटवारानामा के साथ नक्शा प्रदर्श 3 बना हुआ है। पहले भूमि भौरेलाल के हक, हिस्से में आयी हुयी दर्शायी हुयी है । तथा उक्त गवाह जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि भौरेलाल की पत्नि राधा देवी व उनकी पुत्रियां शर्बत देवी, शकुन्तला, सरोज, अरूणा, शिवानी, और राखी ने उनका हक, हिस्सा रिलीज डीड प्रदर्श 2 के द्वारा **वादीगण** के पक्ष में कर दिया गया ।

25. उक्त दोनों गवाह जिरह में यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श ए 1 में रंग सुर्ख जायदाद बंटवारे में उनके पिता बाबूलाल के हक, हिस्से में आयी हो ऐसे कोई तथ्य ना तो उन्होंने जवाब दावे में अंकित किये और ना ही शपथ पत्र में अंकित किये तथा ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किये । प्रतिवादी बाबूलाल द्वारा अपने जवाब दावे में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि उसके हक, हिस्से में विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा आया है तो उक्त हक, हिस्सा किस आधार पर आया इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रतिवादी बाबूलाल के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाये हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि भौरेलाल के पुत्र बाबूलाल के पक्ष में संपूर्ण संपत्ति का 1/2 हिस्सा आया हो और उसके अन्य पुत्र, पुत्रियों के पक्ष में संपूर्ण भूमि का केवल 1/2 हिस्सा ही

हो ।

26. इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का कोई बंटवारा नहीं हुआ था और उक्त संपत्ति एक अविभाजित संयुक्त संपत्ति थी जिसमें भौरेलाल की मृत्यु के बाद उसके सभी पुत्र, पुत्रियों का बराबर हक, हिस्सा होना चाहिए था । इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि भौरेलाल की मृत्यु के बाद एक पारिवारिक समझौता होकर भौरेलाल की संपत्ति को उनकी दोनों पत्नियों कलावती व राधा देवी में 1/2-1/2 बांटा गया और इसी कारण कलावती का 1/2 हिस्सा अकेले बाबूलाल के हक, हिस्से में आया । तो प्रतिवादीण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार का कोई भी बंटवारानामा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाया है जिससे यह स्पष्ट हो कि सभी भाईयों के परिवारीजन ने बैठकर यह तैय किया हो कि भौरेलाल की संपत्ति दोनों पत्नियों में 1/2-1/2 आयेगी । **जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भौरेलालजी की मृत्यु के बाद उनकी जीवित पत्नियां भी वारिसान है जो प्रथम अनुसूची के प्रथम वर्ग में आते हैं उन सभी का उक्त सपंत्ति पर बराबर अधिकार बनता है।** वादीगण द्वारा जब न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था उस समय भौरेलाल की पत्नि राधा देवी जीवित थी, परन्तु वर्तमान में भौरेलाल की पत्नि राधा देवी की मृत्यु सन् 2019 में हो चुकी है जिसकी पुष्टि डी डब्लयू 1 अमित व डी डब्ल्यू 2 मुकेश के द्वारा भी अपनी जिरह में की गयी है।

27. इससे यह स्पष्ट है कि भौरेलाल की मृत्य के बाद वर्तमान में उनके जीवित वारिसान कलावती का पुत्र बाबूलाल व उनकी पुत्री शरबती व राधा देवी के तीन पुत्र प्रभुदयाल, सुरेन्द्र, मनोज, तथा उनकी सात पुत्रियां शकुन्तला, सरोज, अरूणा, शिवानी, राखी, सरिता, रिचा हैं और उक्त सभी पुत्र, पुत्रियों का **भौरेलाल की संपत्ति में 1/12 हिस्सा बनता है।** प्रतिवादी बाबूलाल की मृत्यु होने के बाद बाबूलाल के वारिसान उनकी पत्नि कमला व पुत्र मुकेश व अमित को प्रकरण में प्रतिस्थापित किया गया है और उक्त तीनों व्यक्ति बाबूलाल का 1/12 हिस्सा ही प्राप्त करने के अधिकारी है, ना कि विवादित संपत्ति के संपूर्ण हिस्से का 1/2 भाग । क्योंकि भौरेलाल की मृत्यु के बाद उनके सभी पुत्र पुत्रियों का उनकी संपत्ति में बराबर 1/12 भाग बनता है । **अतः तनकी संख्या 1, 2 वादी के पक्ष में तैय की जाने योग्य है।**

तथा प्रतिवादीगण उक्त संपत्ति से वादीगण को बेदखल करना चाहते हैं और उक्त संपत्ति का अंतरण आदि भी कर सकते हैं इसलिए वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबंद करने के अधिकारी हैं । अतः **तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में तैय की जाने योग्य है।**

तनकी संख्या 4,6,7

तनकी संख्या 4 यह है कि "आया प्रतिवाद-पत्र के चरण संख्या पांच के अनुसार आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण वाद निरस्तनीय है?"

तनकी संख्या 6 यह है कि "आया प्रतिवादी-पत्र के अतिरिक्त कथन की चरण संख्या 9 के अनुसार हस्तगत वाद धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत स्टे किये जाने योग्य है?"

तनकी संख्या 7 यह है कि "आया प्रतिवाद पत्र के अतिरिक्त कथन की चरण संख्या 10 के अनुसार आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के अभाव में वाद निरस्तनीय है?"

28. तनकी संख्या 4,6,7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि वादीगण ने आराजी खसरा नंबर 123 व 124 के अन्य वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया और ना ही राधा देवी व अन्य पुत्रियों को पक्षकार बनाया है इसलिए आवश्यक पक्षकारों की अनुपस्थिति में दावा खारिज किये जाने योग्य है। तो प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किये हैं कि राधा देवी व अन्य छः पुत्रियों शरबती देवी, शकुन्तला, सरोज, अरूणा, शिवानी, राखी ने वादीगण व प्रतिवादी के पक्ष में एक हक तर्कनामा दिनांक 06.02.2008 को निष्पादित किया था और चूंकि उक्त व्यक्तियों के द्वारा हक तर्कनामा निष्पादित कर दिया गया था और उसके फर्जी होने के बाबत उक्त वारिसों ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोई आपत्ति भी नहीं की है इसलिए उक्त व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है।

29. जहां तक भौरेलाल के अन्य भाई बहनों द्वारा परिवारीजन को प्रकरण में पक्षकार बनाने के संबंध में प्रश्न है तो पत्रावली पर भौरेलाल व उनके भाईयों आदि के मध्य संपत्ति का एक बंटवारानामा किया गया था जो बंटवारानामा प्रदर्श 4 पत्रावली पर उपलब्ध है और उसके साथ बंटवारे का नक्शा प्रदर्श 3 भी पत्रावली पर उपलब्ध करवाया गया है। उक्त नक्शा प्रदर्श 3 व बंटवारानामा प्रदर्श 4 के अनुसार भौरेलाल व उनके अन्य भाईयों के मध्य बंटवारा किया था और विवादित भूमि भौरेलाल के हक, हिस्से में आयी थी । इसलिए जब उक्त संपत्ति भौरेलाल के हक, हिस्से में ही आ गयी थी तो भौरेलाल के अन्य भाई बहनों आदि को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है और सभी आवश्यक पक्षकारों की श्रेणी में

भी नहीं आते हैं। अतः **तनकी संख्या 4,6,7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तैय की जाती है।**

तनकी संख्या 5

तनकी संख्या 5 यह है कि "आया वाद अंदर मियाद है?

30. तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि विवादित संपत्ति अविभाजित संपत्ति है और प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का बंटवारा करने से इंकार करने पर उन्होंने दावा प्रस्तुत किया है। इसलिए दावा मियाद अवधि के अंदर है । जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया ।

31. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि बंटवारे का दावा कोई भी पक्षकार प्रस्तुत कर सकता है उसके लिए कोई मियाद अवधि निश्चित नहीं होती है तथा भौंरेलाल की मृत्यु होने के बाद उनके वारिसान कभी भी दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः **उक्त तनकी संख्या 5 भी वादी के पक्ष में तैय की जाती है।**

अतिरिक्त तनकी संख्या 9

अतिरिक्त तनकी संख्या 9 यह है कि "आया वाद में विवादित जायदाद वाके प्लॉट नंबर 15, कुश मार्ग, बेडी वाला कुंआ अलवर के 1/5 हिस्से के संबंध में न्यायालय मुंसिफ अलवर द्वारा फैसला व पर्चा डिक्री दिनांक 05.10.1977 को पारित किया जा चुका है । इस कारण उक्त 1/5 हिस्से तक मौजूदा वाद कानूनन मैनटेनेबल नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है?"

32. अतिरिक्त तनकी संख्या 9 प्रतिवादी को साबित करनी है। इस संबंध में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि विवादित संपत्ति के संबंध में एक दावा मुंसिफ न्यायालय में चला था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हक, हिस्से की भूमि का अधिकारी निर्णय में माना गया था । और दिनांक 05.10.1977 को निर्णय पारित होने के बाद वादी को यह दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का दावा खारिज किया जाए ।

33. इस संबंध में वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया कि उक्त निर्णय के बाबत वादी व प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं थी और इसलिए दावे व जवाब दावे में उक्त निर्णय के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं तथा उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण की बहनें पक्षकार नहीं थी और आवश्यक पक्षकारों की

अनुपस्थिति के कारण दावा माने जाने योग्य नहीं है। बाबूलाल के हक, हिस्से में 1/5 भूमि भी नहीं आयी थी ।

34. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि पी डब्ल्यू 1 प्रभुदयाल ने अपनी जिरह में इस संबंध में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पूर्व में मुंसिफ न्यायालय अलवर में एक दावा चला था , परन्तु दावे की जानकारी उसे नहीं थी और उक्त दावे में बंटवारे की घोषणा आदि का निर्णय पारित किया हो तो उसे जानकारी नहीं है तथा उस समय वह नाबालिग था । प्रतिवादीगण द्वारा वादी प्रभुदयाल से अपनी अधिकांश जिरह पूर्व के दावे व निर्णय दिनांक 05.10.77 के संबंध में की गयी है । जबकि न्यायालय में जो दावा दिनांक 30.06.08 को प्रस्तुत किया उसमें उक्त दावे के निर्णय के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं। और प्रतिवादी बाबूलाल द्वारा भी उसके जवाब दावे में उक्त दावे व निर्णय दिनांक 05.10.77 के बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं।

35. इस प्रकार दोनों ही पक्षकारों ने अपने दावे व जवाब दावे के अभिवचनों से हटकर जिरह आदि की गयी है जो प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी प्रकार से सुसंगत नहीं है । पत्रावली पर निर्णय दिनांक 05.10.77 भी उपलब्ध करवाया गया है तो उक्त निर्णय व उक्त दावे का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी बाबूलाल के द्वारा एक दावा उसके पिता भौरेलाल व उसके तीनों भाईयों प्रभुदयाल, सुरेन्द्र, व मनोज कुमार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में दिनांक 12.02.76 को प्रस्तुत किया गया था । जिसका जवाब दावा प्रतिवादी द्वारा दिया गया और न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.77 को उक्त दावे का निर्णय प्रदर्श ए 3 किया गया । जिसकी डिक्री प्रदर्श ए 4 है ।

36. वादी संख्या 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल के अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि वादी संख्या 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो चुका है और उनके अनुसार वह पूर्व के निर्णय दिनांक 05.10.77 के अनुसार 1/5 हक, हिस्सा बाबूलाल के वारिसों को देने को सहमत हैं तो वादी संख्या 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल के अधिवक्ता का उक्त तर्क किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विवादित संपत्ति के बाबत जो पूर्व में निर्णय पारित किया गया था उसमें भौरेलाल के सभी वारिस पक्षकार नहीं थे । इसलिए भौरेलाल की पत्नि व पुत्रियां उक्त निर्णय से आबद्ध भी नहीं है और बंटवारे के दावे में जब तक न्यायालय द्वारा बंटवारा तैय नहीं कर दिया जाए तब तक वादी संख्या 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल के वारिसान अपनी इच्छानुसार किसी भी हक, हिस्से पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। इसलिए वादी संख्या 2 व 3 अपना हक ,

हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसों को देना चाहते हैं तो वह अपने हक, हिस्से का हक त्याग बाबूलाल के वारिसों के पक्ष में निष्पादित कर सकते हैं, परन्तु उसे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह पूर्व के निर्णय के अनुसार ही संपत्ति बाबूलाल के वारिसों को देने के लिए सहमत हैं। इसलिए वादी संख्या 2 व 3, प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल द्वारा जो राजीनामा पत्रावली पर पेश किया गया था वह भी खारिज किया जाता है। तथा उक्त संपत्ति पर सभी का 1/12 भाग बनता है। **अतः विवादित संपत्ति में मीट्स एंड बाउण्डस के आधार पर भौरेलाल के सभी जीवित वारिसों का बराबर-बराबर हक, हिस्सा बनता है और वर्तमान में भौरेलाल के 12 वारिस जीवित हैं और सभी 1/12 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।**

अतः तनकी संख्या 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तैय की जाती है।

37. पत्रावली पर वादी द्वारा एक हक तर्कनामा जो वादी की बहनों के द्वारा **वादीगण** के पक्ष में निष्पादित किया गया था उसे भी उपलब्ध करवाया गया है जो प्रदर्श 2 है। उक्त हक तर्कनामा का अवलोकन करें तो उसमें श्रीमती राधा देवी, श्रीमती शर्बत देवी, श्रीमती शकुन्तला, श्रीमती सरोज, श्रीमती अरूणा, श्रीमती शिवानी, श्रीमती राखी ने **वादीगण** के पक्ष में अपने हक का त्याग कर दिया था और यदि उक्त हक तर्कनामा गलत तरीके से निष्पादित किया गया था तो प्रतिवादीगण उक्त हक तर्कनामा को निरस्त करने के बाबत न्यायालय में काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर सकते थे, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त हक तर्कनामा को निरस्त करने के बाबत कोई काउण्ट क्लेम भी न्यायालय में पेश नहीं किया और इस प्रकार हक तर्कनामा वर्तमान में भी अस्तित्व में है । और उक्त हक तर्कनामा के अनुसार भौरेलाल की पत्नि राधा देवी व उनके अन्य पुत्र, पुत्रियों के पक्ष में हक तर्कनामा किया है और चूंकि प्रकरण में सभी पक्षकारों का 1/12 हिस्सा माना गया है। और चूंकि राधा देवी की मृत्यु हो चुकी है इसलिए भी शेष वारिसान श्रीमती शर्बत देवी, श्रीमती शकुन्तला, श्रीमती सरोज, श्रीमती अरूणा, श्रीमती शिवानी, श्रीमती राखी का हिस्सा है।

38. हक तर्कनामा प्रदर्श 2 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि भौरेलाल की पत्नि राधा देवी व उसकी छः पुत्रियों श्रीमती शर्बत देवी, श्रीमती शकुन्तला, श्रीमती सरोज, श्रीमती अरूणा, श्रीमती शिवानी, श्रीमती राखी ने **वादीगण के पक्ष में** उनके हक, हिस्से का हक तर्कनामा निष्पादित किया है । इस प्रकार उक्त सभी सातों व्यक्तियों के हक, हिस्से की भूमि वादीगण के हक, हिस्से में आती है। अतः हक तर्कनामा के आधार पर **वादीगण प्रभुदयाल, सुरेन्द्र व मनोज** के हक में भौरेलाल की संपत्ति का 10/13 हिस्सा बनता है और प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल, प्रतिवादी संख्या 2 सरिता गुप्ता व प्रतिवादी संख्या 3 रिचा प्रत्येक का 3/13 हिस्सा बनता है। अतः वादीगण का 10/13 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 3/13 हिस्सा निर्धारित किया जाता है ।

<u>अनुतोष -</u>

39. चूंकि तनकी संख्या 1, 2, 3, 5 वादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 4, 6, 7, 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तैय की गयी है अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

40. अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण **डिक्री** किया जाकर आदेश दिया जाता है कि **वादीगण का 10/13 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1,2,3 प्रत्येक का 3/13 हिस्सा विवादित संपत्ति में नियत किया जाता है।** अतः **वादीगण** का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण **डिक्री** किया जाकर **प्रारंभिक डिक्री** जारी की जाए । वादी इस क्रम में संपत्ति का मौके पर "मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" में विभाजन कराने हेतु कमिश्नर नियुक्त कराकर कमिश्नर के माध्यम से स्कीम प्रस्तुत करते हुए कार्यवाही कर सकेगा ।

41. **साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण को** विवादित जायदाद के उपयोग, उपभोग में किसी तरह की रूकावट, मजाहमत पैदा ना करे, न ही वादीगण को जबरन विवादित जायदाद से बेदखल करें । तथा विवादित जायदाद में आने जाने रिहायश आदि में रूकावट पैदा ना करें ।

42. खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें । **प्रारंभिक पर्चा डिक्री तदानुसार बनाई जावे।**

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3, अलवर

43. निर्णय आज दिनांक 20.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3, अलवर